

फर्द अहकाम

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चाकसू जिला जयपुर (ग्रामीण)।

कि.केस संख्या :- 255/2021

बाबूडी देवी बनाम कमली देवी

दिनांक आझा या कार्यवाही	आझा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
13.05.2024	<p>पत्रावली पेश हुई। वादी अधिवक्ता हाजिर। विभाजन प्रस्ताव पर वादी को सुना गया। वास्ते आदेश दिनांक 03.06.2024 को पेश हो।</p> <p><i>36</i> उपखण्ड अधिकारी उपखण्ड चाकसू (जयपुर)</p>	
03.06.2024	<p>पत्रावली वास्ते आदेश पेश हुई। समयाभाव के कारण आदेश नहीं सुनाया जा सका। वास्ते आदेश दिनांक 07.06.2024 को पेश हो।</p> <p><i>31</i> उपखण्ड अधिकारी उपखण्ड चाकसू (जयपुर)</p>	
07.06.2024	<p>पत्रावली वास्ते आदेश पेश हुई। विभाजन प्रस्ताव पर बहस पूर्व में सुनी जा चुकी है।</p> <p>दावा स्वीकार किया जाकर विभाजन प्रस्ताव अन्तिम डिकी किया जाता है। इसके साथ संलग्न नजरी नक्शा इस आदेश का अभिन्न भाग रहेगा।</p> <p>विस्तृत निर्णय पृथक से लिखवाया जाकर इस आदेश का भाग रहेगा। डिकी पर्चा जारी हो। निर्णय की पालना हेतु तहरीर जारी हो। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो।</p> <p><i>31</i> उपखण्ड अधिकारी उपखण्ड चाकसू (जयपुर)</p>	